

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2012—वैशाख 24, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. एफ.-बी-1-24-2011-2-पांच-(26).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में,—

(एक) उपनियम (3) में, खण्ड (क) में, शब्द “निर्गम मूल्य” के स्थान पर, शब्द “देशी स्पिरिट का थोक विक्रय मूल्य” स्थापित किए जाएं।

(दो) नियम 10 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि बोतल बंद देशी मदिरा के समस्त निर्यातों के लिए, दूरी को विचार में लाए बिना अधिकतम छीजन छूट 0.25 प्रतिशत होगी।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. बी-1-24-2011-2-पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-24-2012-2-पांच-(26), दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 14th May 2012

No. F-B-1-24-2011-2-V (26).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 5,—

(i) in sub-rule (3), in clause (a) for the words “issue price” the words “whole sale price of country spirit” shall be substituted.

(ii) in rule 10, after the existing proviso the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that maximum wastage allowance for all exports of bottled country liquor shall be 0.25 percent irrespective of distance.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.